

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल - 462021  
दूरभाष 0755-2583650 फैक्स 0755-2583651  
ई-मेल dpimp@sancharnet.in


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14/07/09

क्रमांक/स्था-1/राज/पी/72/2009/953 : संचालनालय लोक शिक्षण म.प्र. द्वारा निम्नांकित प्राचार्य, हाईस्कूल दोहरी पदस्थापना/प्राचार्य का पद रिक्त/स्वीकृत न होना/नियमित प्राचार्य, उमावि. की पदस्थापना हो जाने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति दे रहे प्राचार्यों को कालेम क्र. 4 में अंकित संस्था में पदस्थ किया जाता है :-

स. कं.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	पदांकित संस्था/ जिले का नाम	संस्था / जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	6	7
1	श्री मंधु मंगल शुक्ला	AR 4614	कार्यालय जि.शि.अ. मुरैना	शा. हाईस्कूल कुलोनी, मुरैना	23020766610
2	श्री संतोष सेंगर	AR 2165	कार्यालय जि.शि.अ. मुरैना	शा. हाईस्कूल राजा का तोर मुरैना	23020766603
3	श्री वेद प्रकाश मुदगल	AR 5370	कार्यालय जि.शि.अ. मुरैना	शा. हाईस्कूल कोलुआ मुरैना	230266606
4	श्री एस.एस. सत्संगी	AL 8301	शा. टैगोर उमावि. बनखेडी होशंगाबाद	शा. हाईस्कूल मांगरोल रायसेन	23340166613

- 2) मूल पदोन्नति आदेश में वर्णित शर्तें यथावत रहेगी ।
- 3) उक्त आदेश के पालन में संबंधित द्वारा दिनांक 21.07.2009 तक संस्था में कार्यभार ग्रहण करेंगे जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2009 तक संचालनालय में प्रेषित की जाएगी ।

  
(बी.आर. नायडू)


आयुक्त  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14/07/09

पृ०क्र./स्था-1/राज/पी/72/2009/954  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर,

5. संबंधित कलेक्टर जिला..... म.प्र.
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ..... म.प्र.
7. संबंधित प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय .....म.प्र.
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, जिला .....म.प्र.
9. संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान .....म.प्र.
10. संबंधित कोषालय अधिकारी जिला .....म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि आदेश में अंकित प्राचार्यों का अगस्त माह का वेतन पदोन्नति पूर्व संस्था से आहरित नहीं किया जाना है, उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
11. सहायक संचालक, स्थापना-2 (स्थानीय)
12. संबंधित – प्राचार्य,
13. संबंधितजन –  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
आयुक्त लोक शिक्षण  
मध्य प्रदेश